

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2016 निगरानी

अज-1490-8511-18

गुरुद्वारा दाताबंदी छोड किला ग्वालियर

द्वारा सेवादार बाबा लक्खा सिंह

निवासी गुरुद्वारा बंदी छोड किला ग्वालियर

विरुद्ध

मंदिर श्री कालीदेवी ट्रस्ट घाटमपुर ग्वालियर

द्वारा अध्यक्ष-रामसेवक यादव पुत्र गुलाब सिंह

निवासी-कोटेश्वर कॉलोनी ग्वालियर म.प्र.

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 02-05-2016 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

(Handwritten signature)

*की मुद्रा के बेलगुस्त पड़े
श्री कालीदेवी ट्रस्ट
घाटमपुर 16/5/16*

*वके
16-5-16
50*



(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1490/पीबीआर/16

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुरकर एवं अनावेदक की ओर श्री करतार सिंह कुशवाह, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभय पक्ष दिनांक 19.03.2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p> रीडर</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	